2026 का विधेयक संख्यांक 79.

[दि ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन आफ राइट्स) अमेडमेंट बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 2019 का 40

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "समुचित सरकार" से,—

(i) केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन के संबंध में, केंद्रीय सरकार ;

(ii) राज्य सरकार या उस सरकार या राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन के संबंध में, राज्य सरकार ;

(iii) संघ राज्यक्षेत्र या उस राज्यक्षेत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक या ऐसा प्राधिकारी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "प्राधिकारी" से मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाला चिकित्सा बोर्ड अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाए ।';

(iii) खंड (झ) का लोप किया जाएगा ;

(iv) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ट) "उभयलिंगी व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(i) जो ऐसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरावाणी और जोगता रखता है, या हिजड़ा या कोई व्यक्ति, जो नीचे विनिर्दिष्ट अंत:लिंग विभिन्नताएं रखता है या कोई व्यक्ति, जो जन्म के समय, पुरुष या स्त्री विकास की तुलना में निम्नलिखित एक या अधिक लैंगिक विशेषताओं में जन्मजात विभिन्नताएं रखता है :—

(क) मूल लैंगिक विशेषताएं ;

(ख) बाह्य जननांग ;

(ग) गुण-सूत्र प्रतिरूप ;

(घ) जननग्रंथि विकास ;

(ङ) अंतर्जात हार्मोन उत्पादन या अनुक्रिया, या ऐसी अन्य चिकित्सा दशाएं ; या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति या बालक जिसे बलपूर्वक, लुभा कर, फुसला कर, प्रवंचना या असम्यक् प्रभाव से, या तो सहमति के साथ या उसके बिना, विच्छेदन, पुंसत्वहरण, बधियाकरण, अंगोच्छेदन या किसी शल्य-चिकित्सा, रासायनिक या हार्मोनल प्रक्रिया या अन्यथा

उभयलिंगी पहचान ग्रहण करने, अंगीकार करने या बाह्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जाता है :

परंतु इसके अंतर्गत विभिन्न लैंगिक अभिविन्यास और स्वयं-अनुभव लैंगिक पहचानों वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे, ना ही कभी इस प्रकार सम्मिलित होंगे ।'।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में, "जिला मजिस्ट्रेट," शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकारी की सिफारिश की परीक्षा करने के पश्चात् और, यदि वह या तो आवश्यक या वांछनीय समझता है तो अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता लेने के पश्चात्," शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन पहचान का प्रमाणपत्र जारी किया गया है और उसे इस अधिनियम के अधीन परिभाषा के भीतर इस प्रकार उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है, जन्म प्रमाणपत्र में तथा ऐसे व्यक्ति की पहचान से संबंधित सभी अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में प्रथम नाम का परिवर्तन करने का हकदार होगा ।"।

धारा 7 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में, "आवेदन कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) वह चिकित्सा संस्था, जिसमें ऐसा व्यक्ति या तो पुरुष या स्त्री के रूप में अपना लिंग परिवर्तन करवाने के लिए शल्य चिकित्सा करवाता है, ऐसे व्यक्ति के ब्यौरों को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगी, जो विहित किए जाएं ।";

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिला मजिस्ट्रेट को भी आवेदन करेगा, जो चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के साथ आवेदन की प्राप्ति पर, और ऐसे प्रमाणपत्र के सही होने का समाधान होने पर, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किए जाएं, लिंग में परिवर्तन दर्शित करने वाला प्रमाणपत्र जारी करेगा ।";

(घ) उपधारा (3) और परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 16 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) चक्रानुक्रम से राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में प्रत्येक का उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से, संबंधित मंत्रालय या विभाग में निदेशक की रैंक से अन्यून, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक-एक प्रतिनिधि, सदस्य, पदेन ;"।

धारा 18 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अपराध और शास्तियां ।

"18. जो कोई,—

(क) किसी उभयलिंगी व्यक्ति को, सिवाय सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा से भिन्न, बलात्श्रम या बंधितश्रम के कार्य में लगाने के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा, कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

(ख) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक स्थान में मार्गाधिकार का प्रत्याख्यान करेगा या ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, जिस तक अन्य व्यक्तियों की पहुंच है या उसका उपयोग करने का उन्हें अधिकार है, के उपयोग करने से या उस तक पहुंच को अवरुद्ध करेगा, कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

(ग) उभयलिंगी व्यक्ति को गृहस्थी, ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए विवश करेगा या छोड़ना कारित करेगा, कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

(घ) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या भलाई की अपहानि या क्षति करेगा या खतरे में डालेगा, चाहे वह मानसिक या शारीरिक हो, या ऐसे कृत्य करेगा, जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग कारित करना, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग भी है, कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा;

(ङ) किसी व्यस्क व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा और ऐसे व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उभयलिंगी पहचान ग्रहण करने, अंगीकार करने या बाह्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के आशय से या उसके दौरान,—

(i) ऐसे व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा चाहे वह विच्छेदन, पुंसत्वहरण, बधियाकरण, अंगोच्छेदन या किसी शल्य-चिकित्सा, रासायनिक या हार्मोनल प्रक्रिया द्वारा हो ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति के शरीर या शारीरिक कार्यों को स्थायी या गंभीर क्षति कारित करेगा,

तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा ।

(च) किसी बालक का व्यपहरण या अपहरण करेगा और ऐसे बालक को उभयलिंगी पहचान ग्रहण करने, अंगीकार करने या बाह्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए चाहे बलपूर्वक, लुभा कर, प्रवंचना या असम्यक् प्रभाव से, बाध्य करने के आशय से या उसके दौरान—

(i) ऐसे बालक को घोर उपहति कारित करेगा चाहे वह विच्छेदन, पुंसत्वहरण, बधियाकरण, अंगोच्छेदन या किसी शल्य-चिकित्सा, रासायनिक या हार्मोनल प्रक्रिया द्वारा हो ; या

(ii) ऐसे बालक के शरीर या शारीरिक कार्यों को स्थायी या गंभीर क्षति कारित करेगा,

तो वह आजीवन कठिन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा ;

(छ) बलपूर्वक, धमकी देकर, दबावपूर्वक, लुभा कर, फुसला कर, प्रवंचनापूर्वक या असम्यक् प्रभाव से—

(i) किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, चाहे वह व्यक्ति उभयलिंगी व्यक्ति हो या नहीं, पोशाक पहनने, प्रस्तुत करने या उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में बाह्य रूप से उसे आचरण करने के लिए बाध्य करेगा ; और

(ii) ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार प्रस्तुत करते हुए भिक्षा मांगने, याचना करने, अधिसेविता करने या बलात या बंधुआ श्रम के किसी अन्य रूप के लिए नियोजित करेगा, उपयोग करेगा या लगवाएगा,

तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा ; और

(ज) बलपूर्वक, धमकी देकर, दबावपूर्वक, लुभा कर, प्रवंचनापूर्वक, फुसला कर, असम्यक् प्रभाव से या अन्यथा—

(i) किसी बालक को, चाहे वह बालक उभयलिंगी व्यक्ति हो या नहीं, पोशाक पहनने, प्रस्तुत करने या उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में बाह्य रूप से उसे आचरण करने के लिए बाध्य करेगा ; और

(ii) ऐसे बालक को इस प्रकार प्रस्तुत करते हुए भिक्षा मांगने, याचना करने, अधिसेविता करने या बलात या बंधुआ श्रम के किसी अन्य रूप के लिए नियोजित करेगा, उपयोग करेगा या लगवाएगा,

तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो तीन लाख रुपए से कम नहीं होगा ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ग) में, "आवेदन किया जाएगा" शब्दों के पश्चात्, "और उपधारा (1क) के अधीन चिकित्सा संस्था द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्ररूप के ब्यौरे और उसकी रीति" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (घ) में, "पुनरीक्षित" शब्द का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधायी नीति के अधीन उभयलिंगी व्यक्तियों के एक विशिष्ट वर्ग को मान्यता दी गई है, जो सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है । इस विधायी नीति का आशय केवल उन लोगों की रक्षा करना था और है जो अपनी जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं, जिसमें उनकी कोई गलती या इच्छा शामिल नहीं है ।

2. समय के साथ, इस अधिनियमिति के कार्यान्वयन के दौरान, उभयलिंगी व्यक्तियों की परिभाषा के विस्तार और विद्यमान परिभाषा के अधीन ऐसे व्यक्तियों की पहचान कैसे की जाए, इस संबंध में कुछ संदेह और कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं और भविष्य में भी उत्पन्न होने की संभावना है । यह अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सर्वोपरि महत्व की बात है कि अधिनियमिति का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जाए और यह केवल उन्हीं लोगों के लिए कार्य करे जिन्हें वास्तव में ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है ।

3. इस अधिनियम का आशय, उद्देश्य और प्रयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उभयलिंगी के रूप में जाने जाने वाले एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की रक्षा करना है, जो समाज में अत्यधिक और दमनकारी भेदभाव का सामना करते हैं । इसका प्रयोजन विभिन्न लिंग पहचानों, स्व-अनुभूत लिंग/लिंग पहचानों या लिंग अनिश्चितता वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों की रक्षा करना नहीं है ।

4. "उभयलिंगी व्यक्ति" पद की विद्यमान अस्पष्ट परिभाषा न केवल उन वास्तविक दमित व्यक्तियों की पहचान करना असंभव बनाती है, जिन तक अधिनियम के लाभ पहुंचाने का आशय है, बल्कि कई दांडिक, नागरिक और स्वीय विधियों के अधीन उपबंधों के प्रचालन और प्रवर्तन को भी अव्यवहार्य बनाती है । "उभयलिंगी व्यक्ति" पद की ऐसी अस्पष्ट और व्यापक परिभाषा ने वैधानिक अधिनियमितियों के कामकाज में जटिल मुद्दे उत्पन्न किए हैं, क्योंकि यह अस्पष्ट परिभाषा संसद् और राज्य विधान-मंडलों, दोनों द्वारा अधिनियमित कई अधिनियमितियों के कई वैधानिक उपबंधों के साथ संगत नहीं है । अधिकारों, विशेषाधिकारों और संरक्षणों को प्रदान करने वाली किसी भी अधिनियमिति में ऐसा कोई परिभाषा खंड नहीं हो सकता जिसके द्वारा ऐसे अधिकारों, विशेषाधिकारों और संरक्षणों को प्राप्त करने की स्थिति अर्जित की जा सके ।

5. अतः, अधिनियम के लाभ प्राप्त करने के लिए उभयलिंगी व्यक्तियों की उचित और निश्चित पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक सटीक परिभाषा देना अत्यावश्यक है । अधिनियम के अधीन प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और लाभ व्यापक हैं, इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि किसी व्यक्ति की अर्जित विशेषताओं, व्यक्तिगत पसंद या स्वयं अनुभूत पहचान के आधार पर ऐसी पहचान न की जाए ।

6. विधेयक में प्राधिकारी के पदनाम के उपबंध और सुसंगत प्राधिकारियों को अपेक्षित होने पर विशेषज्ञ सलाह लेने का विकल्प प्रदान करने वाले उपबंध भी सम्मिलित हैं । विधेयक में उभयलिंगी व्यक्तियों को आधिकारिक दस्तावेजों में पारिणामिक परिवर्तन करने के लिए भी सशक्त किया गया है । संशोधन में राष्ट्रीय परिषद् के गठन में भी बदलाव का उपबंध किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निदेशक से अन्यून रैंक के व्यक्ति राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के

प्रशासन के प्रतिनिधियों के रूप में, चक्रानुक्रम में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों से एक-एक प्रतिनिधि के रूप में परिषद् का हिस्सा बनें।

7. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव और दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करता है, किंतु वर्तमान में अधिनियमित धारा 18 के अधीन दंडात्मक उपबंध केवल साधारण दोषों और दांडिक अपराधों पर ही ध्यान देता है और अधिकतम दो वर्ष का कारावास विहित करता है । यह उन असाधारण रूप से घोर अपराधों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देता है, जो व्यवहार में दर्ज किए गए हैं । वयस्कों और बालकों का अपहरण, उन्हें विच्छेदन, पुंसत्वहरण, बधियाकरण, हार्मोन थेरेपी/अन्य समान थेरेपी या रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से प्रतिवर्ती या अपरिवर्तनीय शारीरिक क्षति पहुंचाना, और उन्हें जबरन उभयलिंगी पहचान अपनाने के लिए मजबूर करना, अक्सर भीख मांगने या अधिसेविता सहित आर्थिक और अन्य प्रकार के शोषण की उपधारणा के रूप में देखा गया है । जबकि भारतीय न्याय संहिता, 2023 और किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के छिटपुट उपबंध इन दोषों के व्यक्तिगत तत्वों पर ध्यान देते हैं, कोई भी विद्यमान उपबंध अपहरण, स्थायी शारीरिक क्षति और जबरन पहचान के इस संयोजन को एक एकीकृत दंडात्मक दृष्टिकोण के रूप में नहीं मानता है ।

8. अतः, विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 18 का प्रतिस्थापन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे विशिष्ट अपराधों का सृजन होगा और दंड का स्तर निर्धारित किया जाएगा जो क्षति की गंभीरता, चोट की अपरिवर्तनीयता और बाल पीड़ितों की विशेष संवेदनशीलता को दर्शाता है । प्रस्तावित उपबंध साधारण आपराधिक विधि के साथ संचयी रूप से कार्य करते हैं और संवैधानिक गारंटी को विधायी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक अखंडता अलंघनीय है, और किसी भी व्यक्ति को बलात श्रम या मानव दुर्व्यापार के अधीन नहीं किया जा सकता है ।

9. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली;
12 मार्च, 2026

डॉ. वीरेन्द्र कुमार

वित्तीय ज्ञापन

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को यदि अधिनियमित किया जाता है तो, भारत की संचित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 में उपधारा (1क) अंत:स्थापित करने के लिए है । उक्त धारा की पूर्वोक्त उपधारा समुचित सरकार को चिकित्सा संस्थाओं द्वारा उन व्यक्तियों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है, जो लिंग परिवर्तन, चाहे पुरुष हो या स्त्री, कराने के लिए शल्य-चिकित्सा करवाते हैं ।

वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे और अधिसूचना जारी की जा सकेगी, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय है और उनके लिए स्वयं प्रस्तावित विधान में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 40) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से,—

(i) केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार ;

(ii) राज्य सरकार या उस सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन के संबंध में राज्य सरकार,

अभिप्रेत है ;

* * * * * *

(झ) "अंतःलिंगी विभिन्नताओं वाले व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो जन्म के समय अपने या अपनी मूल लैंगिक विशेषताओं, बाह्य जननांग, गुण-सूत्रों या हार्मोन में पुरुष या स्त्री शरीर के आदर्शी मानक से विभिन्नता उपदर्शित करता है/करती है ;

* * * * * *

(ट) "उभयलिंगी व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति के नियत लिंग से मेल नहीं खाता है और इसके अंतर्गत उभय-पुरुष या उभय-स्त्री (चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग पुनःनिर्धारण शल्यक्रिया या हार्मोन चिकित्सा या लेजर चिकित्सा या ऐसी अन्य चिकित्सा करवाई हो या नहीं), अंतःलिंग विभिन्नताओं वाले व्यक्ति, लिंग-समलैंगिक और किन्नर, हिजड़ा, अरावाणी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं ।

* * * * * *

अध्याय 3

उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान को मान्यता

उभयलिंगी व्यक्ति की पहचान को मान्यता ।

4. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन उभयलिंगी के रूप में मान्यताप्राप्त व्यक्ति को स्वयं-अनुभव की गई लिंग पहचान का अधिकार होगा ।

* * * * * *

पहचान का प्रमाणपत्र जारी करना ।

6. (1) जिला मजिस्ट्रेट, आवेदक को धारा 5 के अधीन पहचान का प्रमाणपत्र ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर, ऐसे व्यक्ति के लिंग को उभयलिंगी के रूप में उपदर्शित करते हुए, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

* * * * * *

लिंग में परिवर्तन।

7. (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात्, यदि उभयलिंगी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के रूप में अपने लिंग में परिवर्तन के लिए शल्यक्रिया करवाता

है तो ऐसा व्यक्ति इस आशय के लिए उस चिकित्सा संस्था के, जिसमें उस व्यक्ति ने शल्यक्रिया करवाई है, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को पुनरीक्षित प्रमाणपत्र के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में आवेदन करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ आवेदन की प्राप्ति पर, और ऐसे प्रमाणपत्र की सत्यता का समाधान हो जाने पर, लिंग में परिवर्तन को उपदर्शित करते हुए ऐसे प्ररूप और रीति तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) वह व्यक्ति, जिसे धारा 6 के अधीन प्रमाणपत्र या उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जन्म प्रमाणपत्र और ऐसे व्यक्ति की पहचान से संबंधित सभी अन्य शासकीय दस्तावेजों में अपने प्रथम नाम में परिवर्तन करने का हकदार होगा :

परंतु लिंग में ऐसा परिवर्तन और उपधारा (2) के अधीन जारी पुनरीक्षित प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हकदारियों को प्रभावित नहीं करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 7

उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद्

उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद् ।

16. (1) * * * * *

(2) राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

* * * * * *

(च) चक्रानुक्रम से राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्येक का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक-एक प्रतिनिधि, सदस्य, पदेन ;

* * * * * *

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

अपराध और शास्तियां ।

18. जो कोई,—

(क) किसी उभयलिंगी व्यक्ति को, सिवाय सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा से भिन्न, बलात्श्रम या बंधितश्रम के कार्य में लगाने के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा ;

(ख) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक स्थान में मार्गाधिकार का प्रत्याख्यान करेगा या ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, जिस तक अन्य व्यक्तियों की पहुंच है या उसका उपयोग करने का उन्हें अधिकार है, के उपयोग करने से या उस तक पहुंच को अवरुद्ध करेगा ;

(ग) उभयलिंगी व्यक्ति को गृहस्थी, ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए विवश करेगा या छोड़ना कारित करेगा ;

(घ) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या भलाई की अपहानि या क्षति करेगा या खतरे में डालेगा, चाहे वह मानसिक या शारीरिक हो,

या ऐसे कृत्य करेगा, जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग कारित करना, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग भी है,

कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

* * * * * *

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

22. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जाएगा ;

(घ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप, अवधि और रीति ;

* * * * * *